

आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार अध्ययन

Nitesh Kumar Suman^{1*}, Dr. Aditya Prakash²

¹ Research Scholar, Kalinga University

² Professor, Education Department, Kalinga University

सार - आदिवासी महिलाओं की शिक्षा सुविधाओं को विस्तार देना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। शिक्षा महिलाओं के सामरिक विकास, स्वावलंबन और सामाजिक उचितता में मदद करती है। इस अध्ययन में, हमने आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं का विस्तार किया है। हमने शैक्षणिक सुविधाएं, शिक्षिका और प्रशिक्षण, सामाजिक और आर्थिक समर्थन, महिला शिक्षा परामर्श और स्वदेशी और संगठित शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अध्ययन में, हमने विभिन्न स्रोतों से जानकारी और शोध प्राप्त की है और आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यह अध्ययन नकारात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों से प्रभावित आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व को उजागर करता है।

खोजशब्द - महिलाओं, शिक्षा

-----X-----

परिचय

दुनिया के परिदृश्य का हर घटक, जीवित और निर्जीव दोनों, समय के साथ तेजी से बदल रहा है। निर्जीव परिवर्तनों के उदाहरणों में ध्रुवीय बर्फ का पिघलना शामिल है, जिसके कारण महासागरों में वृद्धि होती है, सुनामी, भूकंप और अप्रत्याशित स्थानों में प्रजातियों का विलुप्त होना। दुनिया भर में जीवित प्रजातियों के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक लड़ाई भी कई अकल्पनीय परिवर्तनों का कारण बनती है, जैसा कि बाहरी हस्तक्षेप है। छोटे देशों को स्थिर करने के लिए, सुधारात्मक उपाय सटीक रूप से किए जाते हैं। ऊपर वर्णित परिवर्तनों की तरह परिवर्तन होते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जहां कई अलग-अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र हैं। (अशप्पा चिन्ना (2014)) ये बदलाव एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे में परिणत होते हैं। जब तक यह लाइलाज बीमारी के बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बढ़ती आबादी इन्हीं मुद्दों में से एक है।

पार्क (1997) के अनुसार, अधिक जनसंख्या तब होती है जब किसी जीव की जनसंख्या उसके प्राकृतिक वातावरण की वहन क्षमता से अधिक हो जाती है। मानव-पर्यावरण संबंध वाक्यांश का सबसे आम फोकस हैं। जनसंख्या घनत्व का निर्धारण करते समय, यह जनसंख्या के आकार या घनत्व का कार्य नहीं है, बल्कि लोगों का स्थायी संसाधनों का अनुपात है। जन्म में वृद्धि, चिकित्सा प्रगति के कारण मृत्यु दर में कमी, आप्रवासन में वृद्धि, और उत्प्रवास में कमी सभी अधिक जनसंख्या में योगदान करते हैं।

झारखण्ड यानी झार या झाड़ जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है और खण्ड यानी टुकड़े से मिलकर बना है। अपने नाम के अनुरूप यह मूलतः एक वन प्रदेश है जो झारखंड आंदोलन के फलस्वरूप (जिसे बाद में कुछ लोगों द्वारा वनांचल आंदोलन के नाम से जाना जाता है) सृजित हुआ। झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवम्बर 2000 को यह प्रदेश भारतवर्ष का 28 वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखण्ड का सामान्य अर्थ है झाड़ों का प्रदेश। बुकानन के अनुसार काशी से लेकर

बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखण्ड कहलाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में यह ' ठपुण्ड ' नाम से वर्णित है। जनजातीय क्षेत्रों के लिये झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13 वीं शताब्दी के एक तामपत्र में हुआ है। माहभारत काल में इस क्षेत्र का वर्णन ' ठपुण्डरिक देश ' के नाम से हुआ है जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखण्ड नाम से किया है। मल्लिक मुहम्मद जायसी ने अपनी शास्वत रचना पद्मावत में झारखण्ड नाम की चर्चा की है। सम्भवतः जंगल - झाड़ की अधिकता ने ही झारखण्ड नाम को जन्म दिया ऐसा प्रतीत होता है। झारखण्ड भारत का एक राज्य है। राँची इसकी राजधानी है। झारखण्ड की सीमाएँ उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओड़िशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटानागपुर के पठार पर अवस्थित है। (अहमद, मकबूल (2008)) संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखण्ड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल हैं। झारखण्ड राज्य में 32 जनजातियाँ रहती हैं, इनमें से संथाल सबसे बड़ा समूह है। पूरी आदिवासी आबादी का यह करीब एक तिहाई है। उरांव (19.66 प्रतिशत), मुंडा (14.86 प्रतिशत) और हो (10.63 प्रतिशत) है। झारखण्ड की जनसंख्या में 26.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 12.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 61.7 प्रतिशत अन्य का है। गंभीर प्रतिद्वंद्विता के कारण देश के दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को लेकर राज्य, कस्बे और यहां तक कि परिवार भी असमंजस में हैं। खनिज संसाधनों के निष्कर्षण से वन, प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण खतरे में हैं। संसाधनों के अति प्रयोग के कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार और अधिक विनाश के साथ हो रही हैं। ऐसे कई भारतीय हैं जो केवल मेज पर खाना रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि मृत्यु दर में पूरे वर्षों में कमी आई है, महामारी और घातक बीमारियाँ जीवन का दावा करना जारी रखती हैं जिन्हें रोका जा सकता है यदि अधिक लोगों को अच्छी जीवन शैली के बारे में शिक्षित किया जाता है। पूरे भारत में, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अभी भी चिंताजनक रूप से प्रचलित हैं। महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत और पुरुषों का एक छोटा प्रतिशत पढ़ने और लिखने के लिए अपना पहला परिचय प्राप्त करेगा। भारत की जनसंख्या अब संसाधन नहीं बल्कि समुदाय पर बोझ है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाले कई चर हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में जनसंख्या स्थिरीकरण की स्वीकृति के लिए एक इष्टतम

वातावरण बनाएं। इस समस्या का उत्तर ज्ञान के प्रसार और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण में है। सबसे बड़े समूह राज्य में 32 जाति समूह, जनसंख्या का एक तिहाई है। उरांव (19.66 फीसदी), मुंडा (14.86 फीसदी) और हो (10.63 फीसदी) है। निवास की निवास में 26.2 संरचना का निर्माण, 12.1 प्रतिशत संरचना और 61.7 प्रतिशत अन्य का। हालाँकि, जनसंख्या नीति रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश होने के बावजूद, बहुत कम प्रगति हुई है। गंभीर प्रतिद्वंद्विता के कारण देश के दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को लेकर राज्य, कस्बे और यहां तक कि परिवार भी असमंजस में हैं। खनिज संसाधनों के निष्कर्षण से वन, प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण खतरे में हैं। संसाधनों के अति प्रयोग के कारण प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार और अधिक विनाश के साथ हो रही हैं। ऐसे कई भारतीय हैं जो केवल मेज पर खाना रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि मृत्यु दर में पूरे वर्षों में कमी आई है, महामारी और घातक बीमारियाँ जीवन का दावा करना जारी रखती हैं जिन्हें रोका जा सकता है यदि अधिक लोगों को अच्छी जीवन शैली के बारे में शिक्षित किया जाता है। पूरे भारत में, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अभी भी चिंताजनक रूप से प्रचलित हैं। महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत और पुरुषों का एक छोटा प्रतिशत पढ़ने और लिखने के लिए अपना पहला परिचय प्राप्त करेगा। (अखुप, एलेक्स। (2009)) भारत की जनसंख्या अब संसाधन नहीं बल्कि समुदाय पर बोझ है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाले कई चर हैं। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में जनसंख्या स्थिरीकरण की स्वीकृति के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाएं। इस समस्या का उत्तर ज्ञान के प्रसार और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण में है।

महिला शिक्षा का महत्व

प्रत्येक समाज में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित महिला के बिना किसी भी राष्ट्र के निर्माण व विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतन्त्र में बालक एवं महिला दोनों को समान रूप से शिक्षा देते हैं किन्तु नेहरुजी ने स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व इसलिए दिया है। कि जिस तरह की माँ होती है। उसी तरह के संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। पुरुष अपने परिवार के जीवन यापन के लिए घर से प्रायः बाहर रहते हैं। तथा स्त्रियों का समय घर पर ही बच्चों की देख रेख में व्यतीत होता है। जिससे माँ का उत्तरदायित्व बढ़ गया है। (बैजू, के सी (2011)) वैसे भी वर्तमान समय में महिला के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिक हो गये हैं। क्योंकि संयुक्त परिवार

अधिकांशतः नहीं है। अकेले उसे परिवार के समस्त सदस्यों की देखरेख करनी पड़ती है घर की उचित देख रेख तभी कर सकती है। जब वह शिक्षित होगी , शिक्षित होने पर वह परिवार के समस्त लोगों की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को समझकर उनका निवारण कर सकेगी। महात्मा गाँधी ने महिला शिक्षा को बालक की शिक्षा से किन्ही भी अर्थों में हेय दृष्टि से नहीं देखा , स्त्री के त्याग के बिना पुरुष के सुख पाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। महिला त्याग की साक्षात मूर्ति हैं कोई महिला जब किसी कार्य में जी . जॉन से लग जाती है। तो पहाड़ को भी हिला देती है। स्त्री शिक्षा पर गाँधी जी ने कहा था बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नहीं किया जा सकता है जब तक कि स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से न लिया जाये।

आदिवासी महिलाओं शिक्षा सुविधा

अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के उन्नयन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि आदिवासी समुदायों की आंतरिक शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जो उन्हें जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। भारत में पिछड़े समूहों के बीच साक्षरता और शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास के शक्तिशाली साधन हैं। जनजातीय न केवल सामान्य आबादी और साक्षरता और शिक्षा में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच पिछड़ा हुआ है। यह असमानता अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में और भी अधिक उल्लेखनीय है, जिनकी साक्षरता दर देश में सबसे कम है। शिक्षा एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज व्यक्तिगत दान में सुधार कर सकते हैं, क्षमता के स्तर का निर्माण कर सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपनी भलाई में निरंतर सुधार के अवसरों का विस्तार कर सकते हैं। यह पुरुषों के लिए नहीं बल्कि आदिवासी महिलाओं के लिए भी लागू है। (जॉर्ज, के.के. (2011)) जनजातीय महिलाओं में साक्षरता दर और शिक्षा का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से कम है, विकास के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आदिवासी महिलाओं की शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा महिलाओं के सामरिक विकास, स्वावलंबन और सामाजिक उचितता को प्राप्त करने में मदद करती है। आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है:

- स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आदिवासी इलाकों में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- शिक्षिका और ट्रेनिंग आदिवासी मह :िलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षिकाओं की भर्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षिकाओं को आदिवासी संस्कृति और भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि वे संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक मुद्दों पर महिलाओं को संज्ञान में ले सकें।
- सामाजिक-आर्थिक आर्थिक समर्थन: आदिवासी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक समर्थन की आवश्यकता होती है। सामुदायिक संगठन, सरकारी योजना और गैर सरकारी संगठन द्वारा वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति योजना और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- महिला शिक्षा परामर्शदाता: महिलाओं के लिए शिक्षा परामर्श कार्यक्रम व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा योजना सक्षम और समझ में सक्षम हो। परामर्श के माध्यम से, वे शिक्षा संबंधी मुद्दों पर सचेत हो सकते हैं और आवश्यक सामरिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिए स्वदेशी और संगठित शिक्षा: आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था को स्थानीय संगठन, महिला व्यवसाय और स्वदेशी जुड़ाव के साथ संगठित किया जाना चाहिए। इससे महिलाएँ अपनी पूर्व स्वतंत्रता के सामने आ सकती हैं और अपने अधिकारों को प्रभावी तरीके से दावा कर सकती हैं।

इन सभी पहलुओं के साथ, आदिवासी महिलाओं को संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और सामाजिक प्रगति को बढ़ाने का अधिकार होता है। (लेह, पेटीका रैंडोल्फ़। (2011)) सरकार, सामाजिक संगठनों और समाज के सभी सदस्यों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि आदिवासी महिलाओं को शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उन्हें सम्पूर्ण विकास का मौका मिल सके।

आदिवासी महिलाएं और उनकी स्थिति

स्थिति शब्द का अर्थ समाज के भीतर किसी व्यक्ति या समुदाय की स्थिति है। रॉबर्ट लोवी (1920) ने समाज में महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए चार अलग-अलग मानदंड सुझाए हैं: (1) वास्तविक उपचार, (2) कानूनी स्थिति, (3) सामाजिक भागीदारी का अवसर और (4) चरित्र और कार्य की सीमा। किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज में सामाजिक न्याय के स्तर का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। संयुक्त राष्ट्र (1975) ने महिलाओं की स्थिति को इस प्रकार परिभाषित किया है - "एक छात्र, बेटी, पत्नी, मां, कार्यकर्ता के रूप में एक महिला की स्थिति का संयोजन ... इन पदों से जुड़ी शक्ति और प्रतिष्ठा, और उसके अधिकार और कर्तव्य व्यायाम करने की अपेक्षा की जाती है।" महिलाओं की स्थिति को अक्सर उनकी शिक्षा, आय के स्तर, रोजगार, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के साथ-साथ परिवार, समुदाय और समाज में उनकी भूमिका के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। आदिवासी समुदायों में, आदिवासी महिलाएं महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी महिलाओं का उनके समाज में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे आदिवासी समाज में कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। वे बहुत मेहनती हैं और परिवार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी 14 घंटे से अधिक काम करते हैं। (प्राइस (एड्स।)) पारिवारिक अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और पर्यावरण प्रबंधन उन पर निर्भर करता है। आदिवासी महिलाएं घर और कृषि में पुरुषों के भागीदार के रूप में काम करती हैं। वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों के रूप में परिवार के केंद्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी के बिना आदिवासी समुदाय का विकास निरर्थक है। आदिवासी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, परिवार की आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, फिर भी वे एक गरीब और दयनीय जीवन जीती हैं। वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए गरीबी के अनुमान से पता चलता है कि 54.91 प्रतिशत ग्रामीण और 41.4 प्रतिशत शहरी अनुसूचित जनजाति अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। कुछ जनजातियाँ विभिन्न व्यवसायों में लगी हुई हैं जैसे शिकार को खेती को बसे हुए कृषि और ग्रामीण शिल्प में स्थानांतरित करना।

डेबर आयोग की रिपोर्ट (1961) में उल्लेख किया गया है कि आदिवासी महिलाएं नशे की लत या बोझ की जानवर नहीं हैं, वह गैर-आदिवासी समाजों की तुलना में अपने सामाजिक जीवन से संबंधित सभी पहलुओं में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और दृढ़ हाथ का प्रयोग करती हैं। आम तौर पर, अन्य जातियों की तुलना में आदिवासी महिलाएं जीवन के

विभिन्न क्षेत्रों में अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेती हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए पारंपरिक और प्रथागत आदिवासी मानदंड तुलनात्मक रूप से अधिक उदार हैं।

महिलाओं की भूमिका न केवल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण है, बल्कि गैर-आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आदिवासी महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं और कुछ मामलों में पुरुषों से भी ज्यादा। भसीन (2007) 'अपनी दुनिया में, आदिवासी महिलाओं को एक स्वतंत्रता है, और एक आत्म-अभिव्यक्ति है'। आदिवासी परिवार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में योगदान में आदिवासी समकक्षों के साथ समान भागीदार रहे हैं। (निकोलस, गुएडा (2009)) आदिवासी महिलाएं अपने खेत, घर और जंगल में आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक शारीरिक श्रम करती हैं। वे खाना पकाने, सफाई, ईंधन और चारे का संग्रह, बच्चे और परिवार के वृद्ध सदस्यों की देखभाल जैसी घरेलू गतिविधियाँ करते हैं। वे घर के बाहर खेत में श्रमिक के रूप में काम करने के साथ-साथ निर्माण कार्य, ईंट भट्ठा आदि में भी काम करने का प्रबंधन करते हैं। वे कृषि उत्पादों के विपणन में स्वतंत्र और स्वतंत्र हैं। वे सब्जी, वनोपज और हस्तनिर्मित उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय बाजार में जाते थे। आम तौर पर भारतीय महिलाओं की तुलना में जनजातीय महिलाओं ने अपने समुदायों में उच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लिया है। मिजोरम और मेघालय में खासी जैसी जनजातियाँ मातृवंशीय हैं जिन्हें उनके समुदाय में उच्च दर्जा प्राप्त है।

आदिवासी लड़की और महिलाओं को आर्थिक संपत्ति माना जाता है और उनके समाज में उनके समकक्षों के साथ समान स्थिति होती है। लेकिन, भौतिकवादी विकास की दृष्टि से आदिवासी महिलाएं अभी भी शिक्षा और सभ्य जीवन स्तर से वंचित हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता दर और आदिवासी महिलाओं के मामले में साक्षरता दर काफी कम है और यह आदिवासियों के बीच खराब पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति से भी जुड़ा है।

आदिवासी महिला शिक्षा का अवलोकन

अधिकांश आदिवासी गरीब, अनपढ़ और दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में बाधित हैं। वे जनसंख्या के अन्य वर्गों की तुलना में जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। भारत सरकार ने जनजातियों के बीच शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों के बावजूद साक्षरता दर में सुधार नहीं हुआ है। आदिम

जनजातियों के मामले में यह बहुत गरीब है और महिलाओं में यह बहुत कम है। साक्षरता किसी भी वर्ग या क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। (अशप्पा चिन्ना (2014)) इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्ययन आदिवासी महिलाओं को बढ़ावा देने में समस्याओं की पहचान करने के लिए विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के मामले में और उपयुक्त रणनीति सुझाने के लिए आयोजित किया गया था। यह पत्र जनजातियों के बीच साक्षरता परिदृश्य, जनजातीय शिक्षा से संबंधित अध्ययनों की समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य और कार्यप्रणाली आदि प्रस्तुत करता है। (नॉर्वेजियन विदेश मंत्रालय (एमएफए)। (2003)।) जनजातियों की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जनजातियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पेपर में प्रस्तुत किया गया है और परिवारों के प्रमुखों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का वर्णन किया गया है। भारत की जनजातीय आबादी के लिए कार्यान्वित विकासात्मक कार्यक्रम और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः सारांश और रणनीतियाँ तैयार करते हैं।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

इस उद्देश्य के लिए कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं:

मुफ्त शिक्षा: अनुसूचित जाति के बच्चों को विश्वविद्यालय स्तर तक पूरी शिक्षा के लिए किसी भी शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

मुफ्त पाठ्यपुस्तकें आदि: प्रारंभिक स्तर पर, वे मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री के हकदार हैं।

मुफ्त मध्याह्न भोजन: नई योजनाओं के तहत, प्राथमिक विद्यालयों के सभी बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के बच्चे शामिल हैं?

निःशुल्क वर्दी: प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क वर्दी के दो सेट उपलब्ध कराने की योजना है।

वजीफा: अनुसूचित जाति के बच्चे शिक्षा के विभिन्न चरणों में अलग-अलग पैमानों पर वजीफे के हकदार हैं।

नीतियां और कार्यक्रम

यह स्वीकार करते हुए कि एसटी भारतीय समाज के सबसे वंचित और हाशिए के वर्गों में गिने जाते हैं, उनके

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कल्याणकारी और विकासात्मक उपाय शुरू किए गए हैं। इस संबंध में, आदिवासी उप-योजना दृष्टिकोण के लिए विशेष संदर्भ दिया जाना चाहिए जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना से मुख्य रणनीति के रूप में अस्तित्व में आया। मुख्य आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ, आदिवासी उप-योजना दृष्टिकोण में प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। (जॉर्ज, के.के. (2011)) प्रारंभिक शिक्षा को न केवल संवैधानिक दायित्व के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में, विशेष रूप से बाहरी लोगों के साथ समान शर्तों पर व्यवहार करने के लिए जनजातियों में विश्वास पैदा करने के लिए। [9] चूंकि प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समान महत्व के अनुसार आदिवासी उप-योजनाओं में शिक्षा के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा अपनाया गया था। आदिवासियों की शिक्षा की नीति में एक दूसरा महत्वपूर्ण विकास 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) की सिफारिशों के साथ आया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित निर्दिष्ट हैं:

- जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- क्षेत्रीय भाषाओं में स्विचओवर की व्यवस्था के साथ प्रारंभिक चरणों में पाठ्यक्रम विकसित करने और आदिवासी भाषा में शिक्षण सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है।
- होनहार एसटी युवाओं को आदिवासी क्षेत्रों में अध्यापन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आश्रम विद्यालय/आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
- अनुसूचित जनजातियों की विशेष जरूरतों और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी।

नीति की अनूठी विशेषता जनजातीय क्षेत्रों की विविधता और विविधता की पहचान है। नीति में आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच में सुधार पर विशेष जोर देने के साथ प्राथमिक शिक्षा की संरचना के परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। नीति ने प्रभावी शिक्षण के लिए मातृभाषा के माध्यम से निर्देश के महत्व को भी रेखांकित किया है और स्थानीय बोलियों में

पाठ्यपुस्तकों के स्थानीयकृत उत्पादन पर जोर देने के अलावा स्थानीय रूप से प्रासंगिक सामग्री और पाठ्यक्रम को शामिल करने को प्रोत्साहित किया है। इन विचारों के आधार पर, शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए आदिवासी क्षेत्रों के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के मानदंडों में ढील दी गई। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश बसावटों में स्कूल स्थापित करने की हद तक चला गया है जहां बीस स्कूली बच्चे भी हैं; मध्य प्रदेश ने 200 आबादी वाली बस्तियों में स्कूल खोलने के लिए जनसंख्या के आकार के मानदंडों में लगातार कमी की है। हालांकि, मानदंडों में इस तरह की छूट के बावजूद, कई आदिवासी इलाके अभी भी स्कूल के बिना हैं, क्योंकि वे आराम के मानदंडों को भी पूरा नहीं करते हैं।

निष्कर्ष

आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना महत्वपूर्ण है ताकि वे समाज में पूरी तरह से सम्मिलित हो सकें और अपने पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके लिए, शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए ताकि महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, शिक्षिका और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि महिलाएं स्वतंत्रता और स्वावलंबन के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। सामाजिक और आर्थिक समर्थन की प्रदान की जानी चाहिए ताकि महिलाएं शिक्षा के लिए संघर्ष करने के बजाय अपना पूरा ध्यान दे सकें। परामर्श कार्यक्रम द्वारा महिलाओं को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा योजना बना सकें और स्वदेशी और संगठित शिक्षा की पहुंच का लाभ उठा सकें। इस अध्ययन के माध्यम से हम आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा सुविधाओं के महत्व को उजागर करते हैं और सुझाव प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज के सभी सदस्यों की सहयोग से इन सुविधाओं का विस्तार हो सके।

संदर्भ

1. पार्क (1997) आदिवासी भारत में राधा एस एन साक्षरता भारत में जनजातीय परिवर्तन में एक मूल्यांकन। बुद्धदेव चौधरी द्वारा विज्ञापन। इंटर इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली 1982।
2. अशप्पा चिन्ना (2014) "कर्नाटक में बेदार जनजाति" इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च इन सोशल साइंस वॉल्यूम: 4 | परिवार : 2 | फरवरी 2014 | आईएसएसएन - 2249- 555X।
3. अहमद, मकबूल (2008)। शिक्षा का व्यापक शब्दकोश। नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लिमिटेड।
4. अपुप, एलेक्स। (2009)। राज्य, स्वयंसेवी और संलग्नता के बीच लाइव: जनजाति केंद्रित सामाजिक कार्य अभ्यास की ओर एक दृश्य। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 70, 597-615
5. वाजू, के सी (2011)। केरल में विकेन्द्रीकृत शासन के तहत जनजातीय विकास: मुद्दे और चुनाव। जोआग, आवाज। 6, नहीं। 1, 13-25
6. जॉर्ज, के.के. (2011)। केरल में उच्च शिक्षा: दृष्टांत और सरकारी नौकरी के लिए यह कितना समावेशी है? (शिक्षा, बहिष्करण और आर्थिक विकास वर्किंग पेपर श्रृंखला, खंड 1, संख्या 4)। कोचीन: सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र [सीएसई आईपी] और कोचीन विज्ञान और विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी [सीयूएसएटी]।
7. लेह, पेटीका रेंडोल्फ। (2011)। अर्थशास्त्र, शिक्षा और पूंजी। टेवन टोजर में।, बर्नार्डो पी गैलेगोस।, एनेट एम हेनरी।, मैरी बुशनेल ग्रिनर, और पनाला ग्रोव्स प्राइस (एड्स।), हैंडबुक ऑफ रिसर्च इन सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। न्यूयॉर्क और लंदन: रूटलेज।
8. भसीन (2007) परिचय: स्वदेशी लोग और गरीबी। रॉबिन एवरसोल में।, जॉन-एंड्रयू मैकनीश।, और अल्बर्टो डी सिमाडामोर (सं।), स्वदेशी लोग और गरीबी: एक अंतर्राष्ट्रीय दृश्य। लंदन/न्यूयॉर्क: जेड बुक्स।
9. रॉबर्ट लोवी (1920) आदिवासी क्षेत्र में औद्योगीकरण के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव: राउरकेला भूमि का मामला। भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, 37, 429-457।
10. निकोलस, गुएर्डा।, डिसिल्वा, एंजेला।, और रेबेनस्टीन, केली। (2009)। हाईटियन अप्रवासियों की शैक्षिक प्रतियोगिता। शहरी शिक्षा, 44, 664-686।
11. डेबर आयोग की रिपोर्ट (1961) राष्ट्रों के जीवन स्तर: अर्थ और पैच। एस्टाडिस्टिका: जर्नल ऑफ इंटर-अमेरिका स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, 3-31।
12. नॉर्वेजियन विदेश मंत्रालय (सीमाए)। (2003)। शिक्षा - नौकरी नंबर 1. 2015 तक सभी के

लिए शिक्षा देने के लिए नॉर्वेजियन रणनीति।
ओस्लो: लेखक।

Corresponding Author

Nitesh Kumar Suman*

Research Scholar, Kalinga University